न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 39 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 57
दायर दिनांक :– 25.02.2025 निर्णय दिनांक :– 04.03.2025

1. नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बीरलोका तहसील व जिला नागौर

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री बुधाराम विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम तालरिया में खसरा नम्बर 1988 / 1 रकबा 28–16 बीघा किस्म बंजड भूमि नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट सा. बीरलोका तहसील नागौर गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम नोख में नामान्तरकरण संख्या 217 द्वारा आवंटन खसरा नम्बर 1988 / 3300 रकबा 75–00 बीघा किस्म बंजड भूमि सुगनाराम पुत्र नखतुराम जाति कुम्हार को गैर खातेदारी की आवंटन हुई। उक्त भूमि ग्राम नोख में नामान्तरकरण संख्या 364 द्वारा खसरा नम्बर 1988 / 3300 उक्त आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये गये। ग्राम तालरिया के नामान्तरकरण संख्या 87 बैचान द्वारा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1988 / 3300 रकबा 45–00 बीघा भूमि नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट सा. बीरलोका तहसील व जिला नागौर खातेदार दर्ज हुआ। ग्राम तालरिया के गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059–2032 में खसरा संख्या 1988 / 1 रकबा 28–16 बीघा किस्म बंजड नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट सा. बीरलोका तहसील नागौर खातेदार दर्ज है। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063–2066 बनाते समय खसरा नम्बर 1988 / 1 रकबा 28–16 बीघा किस्म बंजड नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट सा. बीरलोका तहसील नागौर लिपिकीय त्रुटि से गैर खातेदार दर्ज हो गया जो कि आज दिनांक तक गैर खातेदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार की दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सराकर तहसीलदार बाप स्वंय उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1988 / 3300 रकबा 75–00 बीघा भूमि सुगनाराम पुत्र नखतुराम जाति कुम्हार को गैर खातेदारी आवंटन हुई। नामान्तरकरण संख्या 364 के द्वारा खसरा नम्बर 1988 / 3300 रकबा 75–00 बीघा किस्म बंजड भूमि सुगनाराम पुत्र नखतुराम जाति कुम्हार गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये

सहायक कलेक्टर

गई। नवसृजित गाव तालरिया पटवार हल्का बोडाना नामान्तरकरण संख्या 87 बेचान द्वारा खसरा नम्बर 1988/3300 रकबा 45-00 बीघा भूमि नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बीरलोका तहसील नागौर खातेदार दर्ज हुई। ग्राम तालरिया की गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059-2062 में खसरा नम्बर 1988/1 रकबा 28-16 बीघा किस्म बंजड नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बीरलोका तहसील नागौर खातेदारी दर्ज है। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063-2066 में खसरा नम्बर 1988/1 रकबा 28-16 बीघा किस्म बंजड नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बीरलोका तहसील नागौर लिपिकीय त्रुटि से खातेदार से गैर खातेदार दर्ज हो गया जो आज दिनांक तक गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि प्रार्थी की ग्राम तालरिया में खसरा नम्बर 1988/1 रकबा 28-16 बीघा किस्म बंजड भूमि नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट सा. बीरलोका तहसील नागौर गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम नोख में नामान्तरकरण संख्या 217 द्वारा आवंटन खसरा नम्बर 1988/3300 रकबा 75-00 बीघा किस्म बंजड भूमि सुगनाराम पुत्र नखतुराम जाति कुम्हार को गैर खातेदारी की आवंटन हुई। उक्त भूमि ग्राम नोख में नामान्तरकरण संख्या 364 द्वारा खसरा नम्बर 1988/3300 उक्त आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये गये। ग्राम तालरिया के नामान्तरकरण संख्या 87 बैचान द्वारा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1988/3300 रकबा 45-00 बीघा भूमि नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट सा. बीरलोका तहसील व जिला नागौर खातेदार दर्ज हुआ। ग्राम तालरिया के गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059-2032 में खसरा संख्या 1988/1 रकबा 28-16 बीघा किस्म बंजड नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट सा. बीरलोका तहसील नागौर खातेदार दर्ज है। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063-2066 बनाते समय खसरा नम्बर 1988/1 रकबा 28-16 बीघा किस्म बंजड नारूराम पुत्र जोराराम जाति जाट सा. बीरलोका तहसील नागौर लिपिकीय त्रुटि से गैर खातेदार दर्ज हो गया जो कि आज दिनांक तक गैर खातेदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार की दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने भी उपस्थित हो कर बताया की ग्राम तालरिया पटवार हल्का बोडाना के खसरा नम्बर 1988/1 रकबा 28-16 बीघा भूमि के पूर्व खातेदार सुगनाराम पुत्र नखतुराम जाति कुम्हार के नाम खातेदारी की दर्ज अभिलेख थी। सुगनाराम द्वारा उक्त भूमि प्रार्थी को बेचान कर दी गयी। बेचान का नामान्तरकरण भरते समय प्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि को गैर खातेदार से खातेदार शुद्ध किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी, नामान्तरकरण, नक्सा ट्रेस, तहसीलदार बाप का जवाब, पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम तालरिया पटवार हल्का बोडाना के खसरा नम्बर 1988/1 रकबा 28-16 बीघा स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी ने पूर्व खातेदार सुगनाराम पुत्र नखतुराम से खरीद की थी।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खरीद के समय उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज की गयी। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063–2066 में प्रार्थी को त्रुटि से गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया परन्तु गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059–2062 मे प्रार्थी के नाम खातेदारी की दर्ज है जो तथ्य पैरोकार सरकार के जवाब से स्पष्ट है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार हल्का बोडाना के खसरा नम्बर 1988/1 रकबा 28–16 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज गैर खातेदार को दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/3/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)